

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

ग्यारहवां सत्र

वीरवार, 3 मार्च, 2016/13 फाल्गुन, 1937(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| (i) स्थगित | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे। |
| (ii) दिन के लिए | | |

(2) अतारांकित:

- | | | |
|-----------------|---|---|
| (i) स्थगित | } | पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे। |
| (ii) दिन के लिए | | |

2. कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

- (1) श्री जी०एस० बाली, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, दफ्तरी, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: एफ.डी.एस.-ए (3)-12/2002 दिनांक 17.02.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.02.2016 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(2) श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 की उपधारा(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर(पंचम संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(1)-7/2012-लूज़ दिनांक 16.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.12.2014 को प्रकाशित;
- (ii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि-'घ' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-23/2014 दिनांक 30.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.12.2014 को प्रकाशित;
- (iii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 की उपधारा(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-7/2011-वॉल-I दिनांक 30.1.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 2.2.2015 को प्रकाशित;
- (iv) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3), (4) और (5) के अन्तर्गत सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) संशोधन नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-7/2011-वॉल-I दिनांक 30.01.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.02.2015 को प्रकाशित;

- (v) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूचि-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-28/2014 दिनांक 19.03.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.03.2015 को प्रकाशित;
- (vi) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि- 'क' और 'घ' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-23/2014 दिनांक 27.04.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.04.2015 को प्रकाशित;
- (vii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-8/2013-लूज़ दिनांक 15.5.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.5.2015 को प्रकाशित;
- (viii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा(3) और (4) के अन्तर्गत सेन्ट्रल सेल्लज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) अमेंडमेंट रूल्ज़, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-8/2013-लूज़ दिनांक 15.05.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.05.2015 को प्रकाशित;
- (ix) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-2/2015-लूज़ दिनांक 03-6-2015 तथा इसका समसंख्यक शुद्धिपत्र दिनांक 03.07.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06-6-2015 तथा दिनांक 04.07.2015 को प्रकाशित;

- (x) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि-'क' और 'ख' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-20/2014-लूज़ दिनांक 25.7.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.7.2015 को प्रकाशित;
- (xi) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि-'घ' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-23/2014 दिनांक 30.7.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.7.2015 को प्रकाशित;
- (xii) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूचि-'क' के भाग-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-20/2014-लूज़ दिनांक 01.10.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.10.2015 को प्रकाशित;
- (xiii) हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 से संलग्न अनुसूचि-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-8/2013-लूज़ दिनांक 07.11.2015 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.11.2015 को प्रकाशित;
- (xiv) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-16/2014 दिनांक 07.11.2015 तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10-11-2015 को प्रकाशित;

- (xv) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (पंचम संशोधन) नियम, 2015 जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-7/2011-वोल्यूम-I दिनांक 14.12.2015 तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15-12-2015 को प्रकाशित; और
- (xvi) हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2015 से संलग्न अनुसूचि-'क' के भाग-2 जोकि अधिसूचना संख्या: ई०एक्स०एन०-एफ(10)-5/2010-लूज़ दिनांक 04.01.2016 तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05-01-2016 को प्रकाशित ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

- (1) श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-
- (i) समिति का 15वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि प्रदेश में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के विभिन्न विकासात्मक कार्यों तथा आय-व्ययक आंकड़ों की संवीक्षा पर आधारित है; और
- (ii) समिति का 16वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 13वें मूल प्रतिवेदन (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा विद्युत विभाग से सम्बन्धित है ।
- (2) श्री सुरेश भारद्वाज, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का 16वां मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि नगर एवं ग्राम योजना विभाग की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

श्री बिक्रम सिंह, दिनांक 29 फरवरी, 2016 को विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशित "जसवां-परागपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत अमरोह पेयजल भण्डारन टैंक से हो रही मटमैले पानी की आपूर्ति" से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा:

दिनांक 25 फरवरी, 2016 को श्री जगजीवन पाल, सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा श्री अजय महाजन, सदस्य द्वारा अनुसमर्थित निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चा:-

“इस सदन में एकत्रित सदस्य, महामहिम राज्यपाल महोदय का, दिनांक 25 फरवरी, 2016 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं ।”

शिमला-171 004
दिनांक: 02 मार्च, 2016

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव ।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)